



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3426]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2017/अग्रहायण 28, 1939

No. 3426]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2017/AGRAHAYANA 28, 1939

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2017

का. आ. 3918(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झारखण्ड राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया तथा बोकारो-धामरा पाइप लाइन (जे एच बी डी पी एल) तथा स्पर पाइप लाइन द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती हैं, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची
जगदीशपुर - हल्दिया एण्ड स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट
सी जी एस जमशेदपुर स्पर पाइपलाइन

राज्य - झारखण्ड

जिला	तहसील	गांव	थाना नं.	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
पूर्व सिंहभूम	गोलमुरी	सोनारी	1156	2	0	16	23
				3	0	14	08
				4	0	01	07
				6	0	04	73

[फा. सं.-एल.14014/69/2017-जी.पी.-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2017

S.O. 3918(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline, in the State of Jharkhand, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited,

SCHEDULE
JAGDISHPUR-HALDIA AND SPUR PIPELINE PROJECT
CGS JAMSHEDPUR SPUR PIPELINE

State : JHARKHAND							
District	Tehsil	Village	Thana No.	Survey No.	Area		
					Hect. Are Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6		
East Singhbhum	Golmuri	Sonari	1156	2	0	16	23
				3	0	14	08
				4	0	01	07
				6	0	04	73

[F. No. L-14014/69/2017-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.